Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2025 GISRRJ | Volume 8 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

पाश्चातकाल से आधुनिक युग तक विवाहोपरांत महिलाओं की बदलती स्थितियां एवं प्रतिमान

डॉ. सीमा पटेल
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, स्वामी जयदेव योगीराज पी0जी0 कॉलेज, मुजफ्फरपुर, मदनापुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 8, Issue 1

Page Number : 22-32

Publication Issue :
January-February-2025

Article History
Accepted : 20 Jan 2025
Published : 05 Feb 2025

सारांश :– वैवाहिक सम्बन्ध मुख्य तौर पर केवल दो विषम लिंगियों के बीच ही नहीं बल्कि दो परिवारों और उनसे सम्बन्धित अन्य सम्बन्धियों एवं स्थानों से भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सम्बन्धों को जोड़ने का कार्य करते है। वैवाहिक सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करने या उन्हें बनाये रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। इन वैवाहिक सम्बन्धों के माध्यम से लोगों के विचारों, मान्यताओं और मूल्यों आदि का पता चलता है। प्रारम्भिक काल में व्यक्ति विवाह इसलिये करता था क्योंकि जीवन–यापन की समस्या उसके सामने थी। आर्थिक कारणों से मनुष्य को बच्चों की आवश्यकता होती थी, जो न केवल उन्हें काम में मदद करें, बल्कि जब माता–पिता कार्य करने योग्य नहीं रहे तब बच्चे बीमें के समान उनके काम आ सकें। उन्हें खेतों पर काम करने के लिये अधिक स्त्रियों की आवश्यकता होती थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रारम्भिक काल में विवाह में प्रेम तथा सहयोग नहीं था और केवल व्यावहारिक कारण ही अधिक महत्वपूर्ण थे। आज जब 'परम्परागत' समाज 'आधुनिक' समाज में बदल रहा है, विवाह के लिये इन व्यावहारिक कारणों का महत्व कम होता जा रहा है। आज विवाह के जो प्रेरक कारक माने जा रहे है वे है एकाकीपन की भावना से छुटकारा तथा दूसरों के माध्यम से जीवित रहने का उद्देश्य। इस प्रकार आज विवाह का प्रमुख उद्देश्य मित्रता या सहयोग प्राप्ति है। यौन सन्तुष्टि इसके क्षेत्र से परे नहीं है परन्तु यह अब मित्रता की अपेक्षा गौण हो गया है।

वर्तमान समय में भारतीय विवाह संस्था उस दो राहे पर खड़ी है जहाँ एक ओर तो शिक्षित युवक–युवतियाँ विवाह के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने में यकीन रखते है, वही दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जो विवाह के प्रति अपने परम्परावादी विचारों से सन्तुष्ट है। अतः विवाह के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण,

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited
S

पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति तथा सहशिक्षा ने भारतीय विवाह संस्था को प्रभावित किया है। आजकल तो कम्प्यूटर के बढ़ते प्रभाव, इन्टरनेट एवं सोशल साइट्स ने भी विवाह संस्था को प्रभावित किया है।

मुख्य शब्द– विवाह, प्रतिमान, महिला, संस्था, शिक्षा, व्यावहारिक, समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक।

प्रस्तावना :– विवाह सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को एक विशेष रूप प्रदान करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। विवाह प्रत्येक समाज में चाहे वह आदिम हो या सभ्य, एक सामाजिक, सांस्कृतिक प्रघटना है, जिसके आधार पर समाज की प्राथमिक इकाई 'परिवार' का निर्माण होता है। वस्तुतः विवाह एक सामान्य तथा स्वाभाविक घटना है। मनुष्य और कुछ बन पाये या नहीं परन्तु सभी लोग एक दिन पति और पत्नी तथा आगे चलकर माता– व पिता होते हैं और ऐसा होना सामाजिक तौर पर आवश्यक एवं स्वाभाविक भी है। जीवन के लिए विवाह की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री–पुरुष के यौन–सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसे एक निश्चित ढंग से नियन्त्रित करने तथा स्थिर रखने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए विवाह संस्था का जन्म हुआ। विवाह यद्यपि एक सार्वभौम संस्था है लेकिन भिन्न–भिन्न समाजों में इसका रूप भिन्न–भिन्न होता है। कुछ समाजों में विवाह का स्वरूप धार्मिक होता है जबकि अन्य समाजों में इसको एक समझौते के रूप में देखा जाता है। जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्न है, यहाँ विवाह एक स्थायी धार्मिक बन्धन है जिसे हिन्दू सामाजिक मूल्यों के अनुसार किसी भी स्थिति में तोड़ना उचित नहीं समझा जाता। विभिन्न समाजों में विवाह के रूप में चाहे कितनी भी भिन्नता, क्यों न पायी जाती हो, लेकिन एक संस्था के रूप में यह सभी समाजों में अनिवार्यतः पायी जाती है। विवाह के संस्थात्मक महत्व को निम्नांकित तथ्य बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

1. पारिवारिक जीवन की स्थापना।
2. संतानों को वैधता प्रदान करना।
3. सामाजिक सम्बन्धों की सुदृढ़ता।
4. व्यक्ति का समाजीकरण।
5. यौन सम्बन्धों की नियमबद्धता।
6. संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण।

एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्था है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। हिन्दू विवाह एक संस्कार है। संस्कार का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाना तथा उसके जीवन का परिष्कार करना है। इस दृष्टि से विवाह को प्रमुख सोलह संस्कारों में एक संस्कार के रूप में देखा जाता है। हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति तथा पुत्र प्राप्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पारम्परिक तौर पर हिन्दू विवाह के अनेक स्वरूप प्रचलित हैं इनमें ब्राह्म विवाह, तथा प्रजापत्य विवाह का अधिक महत्व है। हिन्दू विवाह में अनेक विधि और निषेध पाये जाते हैं तथा यह अनेकानेक नियमों एवं उपनियमों से निर्धारित होता

है। हिन्दू विवाह के नियमों में अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह तथा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के नियम प्रमुख हैं। हिन्दू विवाह का हिन्दू सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आशय यह कि हिन्दू विवाह वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को प्रभावपूर्ण बनाये रखने का प्रयत्न किया जाता है। एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिन्दू विवाह की प्रकृति प्राचीन काल में अपने आदर्श रूप में थी लेकिन सातवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक इसमें निरन्तर रुढ़ियों का समावेश होता गया। जिससे तरह–तरह की सामाजिक समस्यायें, कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएँ भी पैदा हुईं। दरअसल मध्य काल में इन रुढ़ियों को और अधिक दृढ़ बनाने का प्रयत्न किया गया। इन्हें स्मृतिकारों का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ। वस्तुतः स्मृतिकारों के आशीर्वाद से फल–फूल रही रूढ़ियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सका। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जब शिक्षा का प्रसार हुआ तब स्मृतियों के बचनों, आदेशों और आदर्शों का आलोचनात्मक विवेचन आरम्भ हुआ, धर्मशास्त्रों के कथनों को नये परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और अन्य संस्थाओं की भाँति विवाह के नियमों, आदर्शों, उद्देश्यों और प्रकारों तथा पद्धतियों का पुनर्परीक्षण किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में हिन्दू विवाह की प्रकृति, स्वरूप, नियम पद्धति तथा आदर्शों में परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हुई।

पूर्व शोध साहित्य की समीक्षा :–

डिसूजा, शैला. (2005) गोवा में महिलाओं और लड़कियों का एक परिस्थितिजन्य विश्लेषण। अध्ययन ने गोवा में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति का आकलन किया। महिलाओं के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाले आँकड़े घटते लिंगानुपात थे, जो कि 1900 में 1091 से घटकर 2001 में 960 हो गए। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, गोवा की कुल जनसंख्या 1,343,998 थी, जिसमें 6,87,248 पुरुष और 6,60,420 महिलाएँ थीं। 2001 में जनसंख्या का घनत्व 364 प्रति वर्ग किमी पाया गया। गोवा की कुल साक्षरता दर 82. 32ः पाई गई। शैक्षिक सांख्यिकी 2001–2002 के अनुसार, 1037 प्राथमिक विद्यालय, 445 मध्य विद्यालय और 361 माध्यमिक विद्यालय थे। 1997 से 2002 तक ड्रॉपआउट दर 8.95ः से घटकर 5.7ः हो गई। सांख्यिकीय पुस्तिका के अनुसार, 2001 में कुल श्रमिकों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत 22.3ः था। 2002 के लिए शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 17 थी। योजना आयोग ने वर्ष 1999–2000 के लिए गरीबी अनुपात का अनुमान 4.4ः है, जो देश में दूसरा सबसे कम था। गोवा का गरीबी अनुपात 1974 में 44. 26ः से घटकर 2000 में 4.40ः हो गया। एनएसएस रिपोर्ट नंबर 455 (1999–2000) के अनुसार, प्रति 1000 व्यक्तियों में बेरोजगार महिलाएँ क्रमशः ग्रामीण और शहरी गोवा में 69 थीं। छथ्भ्.प्प (1998–99) के अनुसार, गोवा में घरेलू हिंसा काफी आम थी। 15 साल की उम्र से अठारह प्रतिशत कभी–कभी विवाहित महिलाओं ने पिटाई या शारीरिक दुर्व्यवहार का अनुभव किया। 1999 में बलात्कार के 18 मामले दर्ज हुए जो 2003 में बढ़कर 31 हो गए। पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता 1999 में 10 से बढ़कर 22 हो गई। 2003 में अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या 28 से बढ़कर 30 हो गई। 2001 में। गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए की आपूर्ति 2000 में 15,651 से बढ़कर 2004 में 40,235 हो गई।

शेरिफ (2009) के अनुसार, विवाह लगातार पुरुषों और महिलाओं दोनों के जीवन के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक मानदंडों के साथ–साथ पारिवारिक संरचना और अपेक्षाएं इस जनसंख्या क्षेत्र में वयस्कता प्राप्त करने के लिए विवाह के प्रचलन के रूप में विवाह की व्यापकता को प्रभावित करती हैं।

शोध का उद्देश्य – किसी भी सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के अध्ययन के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना अत्यंत आवश्यक है इन्ही उद्देश्यों के आधार पर शोधार्थी को अपना शोध कार्य करना प्रारंभ करता है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध के उद्देश्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है–

(1) विभिन्न परिवार प्रणालियों के वर्णनात्मक–तुलनात्मक अध्ययन करना।
(2) परिवार के पुराने, वर्तमान, बदलते और नए कार्यों के अध्ययन करना।
(3) परिवार संस्था में परिवर्तन के कारण का पता लगाना।
(4) परिवार के भीतर आंतरिक छात्राओं के बदलते संबंधों का विश्लेषण करना।
(5) छात्राओं के प्रवृत्तियों और समकालीन सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण के आधार पर परिवार संस्था के भविष्य की स्थिति का पता लगाना।

शोध प्रविधि :– प्रस्तावित अध्ययन प्रविधि का आशय उन सुव्यवस्थित तरीकों, विधियों से है जिनके द्वारा शोधार्थी अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय एवं यथार्थ तथ्यों का संकलन करता है तथा उन्हें व्यवस्थित करता है। शोध कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध समस्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाएगा। अध्ययन से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशनों, पत्र–पत्रिकाए, जर्नल्स, एवं दैनिक समाचार पत्रों का अध्ययन कर जुटाए जाएंगे समंको का वर्गीकरण सारणीयन एवं विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया जाएगा तथा प्राप्त परिणाम को वास्तविकता से मिलान किया जाकर विसंगति का पता लगाया गया है एवं उन्हें करने के शोध कार्य को दोहराया गया। शोध कार्य हेतु क्षेत्र अध्ययन एवं सविचार निदर्शन विधियों का समुचित प्रयोग किया जाएगा, जो शोध कार्य को मौलिकता प्रदान करेगा एवं प्रत्याशित निष्कर्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

उपकल्पना :– इस शोध पत्र में निम्न उपकल्पनाएँ ली गयीं है –

1. महिलाओं की शिक्षा का विस्तार होने से उनमें जागरूकता आयी है।
2. महिलायें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग हुई है।
3. महिलाओं के समाजिक संरचना एवं समाज में बदलाव आया है।

सामाजिक परिवर्तन लाने में औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, यातायात तथा संचार के क्षेत्र में हुयी चमत्कारिक क्रान्ति तथा व्यक्तिवादी जीवन दर्शन का प्रमुख योगदान रहा है। वैश्वीकरण, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति तथा संचार के साधनों के प्रभाव से लोगों की मानसिकता में बहुत तेजी से बदलाव आया है। स्ॲण च्लम ने लिखा है– जीम`जतनबजनतम व`िबवउउनदपबंजपवद`लेजमउ ूपजी पजे उवतम वत समे ूमसस कमपिदमक बींददमसे पे पद `ॅमदेम जीम`ामसमजवद व`िजीम`वबपंस इवकल ूपबी मदअमसवचे पज इन विभिन्न साधनों ने विवाह रूपी संस्था को बहुत तेजी से प्रभावित किया है।

वर्तमान काल में हिन्दू विवाह की संस्था में हो रहे प्रमुख परिवर्तनों को निम्नांकित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

1. विवाह के धार्मिक महत्व में ह्रास।
2. विवाह विच्छेद में वृद्धि।
3. विवाह के पारम्परिक नियमों में परिवर्तन।
4. विवाह की आयु में परिवर्तन।
5. विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन।
6. विवाह को एक समझौते के रूप में स्वीकृति।

7. विवाह सम्बन्धी विधि–निषेधों में परिवर्तन।

वर्तमान काल में विवाह नया आयाम ग्रहण कर रहा है, वस्तुतः कुछ समाजों में विवाह सम्बन्धी मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन अपेक्षाकृत कम है जबकि कुछ अन्य समाजों में विवाह से सम्बन्धित मान्यताओं, प्रथाओं, विधि–निषेधों , उसके उद्देश्यों तथा आधारभूत सिद्धान्तों में बुनियादी तौर पर परिवर्तन हुआ है। वर्तमान युग में विवाह के बदलते स्वरूप को तीन भागों में विभाजित कर स्पष्ट किया जा सकता है–

1. रोमांटिक प्रेम की प्रवृत्ति।
2. आधुनिकीकरण का प्रभाव।
3. सामाजिक विधानों का प्रभाव।

आशय यह कि हिन्दू विवाह की पारम्परिक प्रकृति रूपान्तरित हो रही है। विवाह सम्बन्धी नये आदर्श, मूल्य और मान्यतायें विकसित हो रही हैं। विवाह से सम्बन्धित इन प्रवृत्तियों एवं प्रक्रियाओं के प्रति हिन्दू महिलाओं के दृष्टिकोण को समझना वर्तमान काल की एक मांग है क्योंकि विवाह संस्था से महिलाओं का जीवन सर्वाधिक प्रभावित होता है, और यदि विवाह सम्बन्धी समस्यायें रुढ़ियाँ कुप्रथायें एवं कुरीतियाँ बनी रहती हैं, तो महिलाओं के जीवन में गम्भीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। आधुनिक युग में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं में नयी चेतना की जागृति उत्पन्न हुई और विवाह सम्बन्धी पारम्परिक स्वरूप एवं प्रतिमानों के प्रति उनमें प्रगतिशील दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है। वर्तमान अध्ययन में विवाह के बदलते स्वरूप के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण का विवेचन किया गया है–

विवाहोपरान्त स्त्रियों की स्थिति – प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में विवाह की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है। निःसंदेह पत्नी पति का आधा हिस्सा है तथा विवाह स्त्री–पुरुष के विकास के लिए परम आवश्यक है। मनु के अनुसार वह पूर्ण पुरुष है जिसके पत्नी और बच्चे हों। भारतीय चिन्तन परम्परा में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विकास में सहायक हैं, जहाँ तक भारतीय महिलाओं का प्रश्न है, उनका जीवन पति पर आश्रित होता है, विवाह से उन्हें एक नया जीवन और जीवन की एक नयी दिशा मिलती है। विवाहोपरान्त भारतीय स्त्रियाँ पूर्णता प्राप्त करती है और उनका जीवन सार्थक तथा सकारात्मक होता है। प्रस्तुत संदर्भ में जब उत्तरदात्रियों से पूछा गया कि क्या विवाहोपरान्त स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ उसे निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है–

सारणी 01

विवाहोपरान्त स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन

क्र.सं.	**स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1.	हाँ	86	86
2.	नहीं	10	10
3.	तटस्थ	4	4
	योग	100	100

उपरोक्त सारणी संख्या 01 का अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ कि समस्त चयनित 100 शिक्षित उत्तरदात्रियों में से 86 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि विवाहोपरान्त स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होता है, 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि परिवर्तन नहीं होता है जबकि इस परिप्रेक्ष्य में 4 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ तटस्थ विचार की रही हैं।

अतः निष्कर्ष रुप में विदित होता है कि सर्वाधिक 86 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि विवाहोपरान्त स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होता है

पारम्परिक विवाह

भारतीय हिन्दू धर्म शस्त्रों में विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसका उद्देश्य धर्म, प्रजा तथा रति है, परम्परया वर्तमान काल में ब्राह्म विवाह का प्रचलन ऊँची जातियों में पाया जाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता–पिता या अन्य अभिभावक कन्या के लिए योग्य वर चुनते हैं और कन्या का दान उस व्यक्ति को कर देते हैं। इस विवाह पद्धति में कुछ धार्मिक संस्कारों का होना आवश्यक बताया गया है, उनमें होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी आदि प्रमुख हैं। पवित्र विधि–विधान से किये जाने वाले इस विवाह को धार्मिक संस्कार कहा गया है। भारतीय समाज में विवाह की यह पद्धति पारम्परिक विवाह कहलाती है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तरदात्रियों सेजब पूछा गया कि क्या आप पारम्परिक विवाह को उचित समझती हैं, उनसे जो उत्तर प्राप्त हुए उसका विवरण निम्नांकित सारणी में दिया गया है–

सारणी 02

पारम्परिक विवाह का औचित्य

क्र.सं.	पारम्परिक विवाह उचित है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	60	60
2.	नहीं	27	13
3.	तटस्थ	13	13
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 02 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समस्त चयनित 400 शिक्षित उत्तरदात्रियों में से 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह को उचित समझती हैं, 27 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ इसे उचित नहीं समझती हैं जबकि 13 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ तटस्थ विचार की रही हैं।

अतः निष्कर्ष रुप में स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह को उचित समझती हैं।

सारणी संख्या 03

उत्तरदात्रियों की आय के आधार पर पारम्परिक विवाह करने के प्रति उनके विचार

क्र.सं.	आय रू0 में (मासिक)	पारम्परिक विवाह करना उचित है			योग
		हाँ	नहीं	तटस्थ	
1.	5000 से कम	19	10	4	**33**
2.	5001 से 10000	21	9	4	**34**
3.	10000 व अधिक	20	9	4	**33**
	कुल योग	**60**	**28**	**12**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 03 के तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि 5000 या इससे कम मासिक आय वर्ग की 33 उत्तरदात्रियों में, से 19 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह करने को उचित समझती हैं, 10(30. 00:) उत्तरदात्रियाँ उचित नहीं समझती हैं, जबकि 4 उत्तरदात्रियाँ मौन रही हैं। इसी प्रकार 5001 से 10000रू0 मासिक आय वर्ग की कुल 34 उत्तरदात्रियों में से 21 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह करने को

उचित समझती हैं, 9 उत्तरदात्रियाँ उचित नहीं समझती हैं, जबकि 4 उत्तरदात्रियाँ तटस्थ विचार की रही हैं। इसी क्रम में रू0 10000 से अधिक आय वाली 33 उत्तरदात्रियों में से 20 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह करने को उचित समझती हैं, 9 उत्तरदात्रियाँ उचित नहीं समझती हैं, जबकि 4 उत्तरदात्रियाँ मौन रही हैं।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में स्पष्ट है कि सर्वाधिक 60 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह को उचित समझती हैं।

सारणी संख्या 04

उत्तरदात्रियों की आयु के सापेक्ष पारम्परिक विवाह करने के प्रति उनके विचारों का विवरण

क्र.सं.	आयु समूह (वर्षों में)	पारम्परिक विवाह करना उचित है			कुल योग
		हाँ	नहीं	तटस्थ	
1.	19–34	13	14	5	32
2.	35–50	26	9	5	40
3.	51 व अधिक	21	4	3	28
	योग	**60**	**27**	**13**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 04 में चयनित उत्तरदात्रियों द्वारा प्राप्त तथ्यों को आयु के सापेक्ष देखने पर ज्ञात हुआ कि 19–34 वर्ष आयु समूह की 32 उत्तरदात्रियों में से 13 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह करने को उचित समझती हैं, 14 उत्तरदात्रियाँ उचित नहीं समझती हैं, जबकि 5 उत्तरदात्रियाँ इस संदर्भ में तटस्थ विचार की रही हैं। 35 से 50 वर्ष आयु समूह की 40 उत्तरदात्रियों में से 26 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह करने को उचित समझती हैं, 9 उत्तरदात्रियाँ उचित नहीं समझती हैं, जबकि 5 उत्तरदात्रियाँ इस संदर्भ में तटस्थ पायी गयीं। 51 वर्ष तथा इससे अधिक आयु समूह की 28 उत्तरदात्रियों में से 21 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह करने को उचित समझती हैं, 4 उत्तरदात्रियाँ उचित नहीं समझती हैं, जबकि इस परिप्रेक्ष्य में 3 उत्तरदात्रियाँ तटस्थ पायी गयीं हैं।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह विदित होता है कि सर्वाधिक 60 उत्तरदात्रियाँ पारम्परिक विवाह को उचित मानती है।

प्रेम विवाह– भारतीय हिन्दू समाज में परम्परया ब्राह्म विवाह ही प्रचलित है परन्तु प्राचीन धर्मशास्त्रों में कन्या और वर के परस्पर प्रेम से उनकी इच्छा के अनुसार किये जाने वाले गान्धर्व विवाह का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार के विवाह में वर एवं कन्या अपने माता–पिता अथवा संरक्षकों की अनुमति के बिना ही एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के विवाह में शरीर संयोग विधिवत विवाह होने के पूर्व भी हो सकता है। कामसूत्र में इस प्रकार के विवाह को आदर्श विवाह कहा गया है। आज के दौर में प्रेम–विवाह की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में चयनित उत्तदात्रियों से जब पूछा गया कि क्या आप प्रेम विवाह को उचित समझती हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त हुआ उसे सारणी संख्या 5.3 में अंकित किया गया है। इसी प्रकार उत्तरदात्रियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या प्रेम–विवाह सफल नहीं होते तो इसका जो उत्तर उन्होंने दिया उसका विवरण सारणी संख्या 5.4 में दर्शाया गया है–

सारणी 05

प्रेम विवाह का औचित्य

क्र.सं.	प्रेम विवाह उचित है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	30	30
2.	नही	61	61
3.	तटस्थ	9	9
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 05 में प्रदर्शित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समस्त चयनित 100 उत्तरदात्रियों में से 30 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ प्रेम विवाह को उचित समझती हैं, 61 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ इसे उचित नहीं समझती हैं जबकि 9 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मौन रही हैं।

इस प्रकार निष्कर्षतः विदित होता है कि सर्वाधिक 61 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ प्रेम विवाह को उचित नहीं मानती हैं।

सारणी 06

प्रेम विवाह की सफलता

क्र.सं.	प्रेम विवाह सफल नहीं होते	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	29	29
2.	नही	60	60
3.	तटस्थ	11	11
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 06 के आकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि समस्त चयनित 400 शिक्षित उत्तरदात्रियों में से 29 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि प्रेम विवाह सफल नहीं होते हैं, 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि प्रेम विवाह सफल होते हैं जबकि इस प्रसंग में 11 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मौन रही हैं।

अतः निष्कर्ष रुप में स्पष्ट है कि सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती है कि प्रेम विवाह सफल होते हैं।

जीवन साथी का चुनाव – पारम्परिक तौर पर भारतीय हिन्दू समाज में माता–पिता या अभिभावक द्वारा लड़के अथवा लड़कियों का विवाह सम्बन्ध निश्चित किया जाता है, इस प्रकार के विवाह में लड़के या लड़की की इच्छा अथवा स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। आशय यह कि लड़के –लड़कियों को अपने जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती है परन्तु आधुनिक युग में लड़कों और लड़कियों के शिक्षित होने से उनको नौकरियों की सुविधा प्राप्त होने पर उन्हें एक दूसरे के निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि वर्तमान काल में अति अल्प मात्रा में ही सही लड़के और लड़कियाँ अपने जीवन साथी का स्वतत्रता पूर्वक चुनाव कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध कार्य में चयनित उत्तरदात्रियों से पूछा गया कि क्या लड़के–लड़कियों को जीवन–साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो उत्तर उनसे प्राप्त हुए वह निम्न सारणी संख्या 5.5 में प्रदर्शित है। इसी प्रकार उत्तरदात्रियों से पूछा गया कि क्या माता–पिता द्वारा तय की गयी शादी अधिक सफल होती है, इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ उसे सारणी संख्या 5.6 में प्रदर्शित किया गया है–

सारणी 07

जीवन–साथी चुनने की स्वतंत्रता

क्र.सं.	जीवन–साथी चुनने की स्वतंत्रता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	36	36
2.	नही	54	54
3.	तटस्थ	10	10
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 07 से स्पष्ट होता है कि समस्त चयनित 100 उत्तरदात्रियों में से 36 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि लड़के–लड़कियों को जीवन–साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, 54 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जबकि इस परिप्रेक्ष्य में 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ तटस्थ पायी गयीं।

अतः निष्कर्ष रुप में विदित होता है कि सर्वाधिक 54 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़के–लड़कियों को जीवन–साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, के विचार की हैं।

सारणी 08

माता–पिता द्वारा तय शादी की सफलता

क्र.सं.	शादी सफल होती है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	75	75
2.	नही	18	18
3.	तटस्थ	7	7
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 08 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समस्त उत्तरदात्रियों में से 75 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि माता–पिता द्वारा तय की गयी शादी अधिक सफल होती है, 18 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ का मानना है कि ऐसी शादियां सफल नहीं होती हैं जबकि इस विषय में 7 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ तटस्थ विचार की हैं।

इस प्रकार निष्कर्ष रुप में विदित होता है कि 75 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि माता–पिता द्वारा तय की गयी शादी अधिक सफल होती हैं।

विवाह सम्बन्ध – पारम्परिक समाज में लड़के–लड़कियों के विवाह सम्बन्ध सामान्यतया माता–पिता तथा अभिभावकों द्वारा तय किये जाते हैं। इस प्रकार विवाह सम्बन्धों के स्थापित होने में लड़के–लड़कियों की राय प्रायः नहीं ली जाती है। माता–पिता एवं अभिभावक स्वेच्छया विवाह सम्बन्ध कायम कर देते हैं। इनमें कभी–कभी अनमेल विवाह भी होते हैं, साथ ही लड़के–लड़कियों की रुचि, भावना एवं दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिससे विवाहोपरान्त वैवाहिक सम्बन्धों में तनाव और असमायोजन पैदा होता है। वर्तमान काल में माता–पिता या अभिभावकों द्वारा तय किये गये ऐसे विवाह सम्बन्ध जिन्हें लड़कियाँ समुचित नहीं समझती तथा विरोध भी करने लगी हैं। उत्तरदात्रियों से जब यह पूछा गया कि क्या माता–पिता द्वारा तय किये गये विवाह से सहमत न होने पर प्रतिरोध करना चाहिए? इसके जो उत्तर प्राप्त हुए, वह निम्न सारणी में अंकित है–

सारणी 09

माता–पिता द्वारा तय विवाह से असहमति पर प्रतिरोध

क्र.सं.	विवाह से असहमति पर प्रतिरोध	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	70	70
2.	नही	26	26
3.	तटस्थ	4	4
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 09 में प्रदर्शित आँकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि चयनित समस्त उत्तरदात्रियों में से 70 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि माता–पिता द्वारा तय किये विवाह सम्बन्ध जिसे वे उचित नहीं समझती, उसका प्रतिरोध करना चाहिए, 26 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विचार है कि प्रतिरोध नहीं करना चाहिए तथा इस परिप्रेक्ष्य में 4 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मौन हैं।

अतः इससे विदित होता सर्वाधिक 70 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि माता–पिता द्वारा तय किये विवाह सम्बन्ध को जिसे वे उचित नहीं समझती, उसका प्रतिरोध करना चाहिए।

विवाह एक धार्मिक संस्कार – पारम्परिक हिन्दू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। कुछ ऐसे धार्मिक नियम, विधियों एवं धार्मिक कृत्यों को सम्पादित किया जाता है जिन्हें विवाह की पूर्णता के लिए आवश्यक माना जाता है। इनमें होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि हिन्दू पुरुष को अपने जीवन में एकाधिक संस्कार करने पड़ते हैं परन्तु हिन्दू स्त्रियों के लिए अन्य विविध संस्कारों की व्यवस्था या निर्देश नहीं है उनके लिए केवल एक संस्कार है, वह है विवाह संस्कार। इस रूप में भी हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, साथ ही कहा जा सकता है कि हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार इसलिए भी है, क्योंकि इसे एक पवित्र अलौकिक शक्ति तथा ईश्वर द्वारा निश्चित बन्धन माना जाता है अर्थात् विवाह ईश्वर द्वारा निर्धारित पवित्र बन्धन है। इस दृष्टि से भी हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिन्दू विवाह का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है इसलिए भी हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। प्रस्तुत शोध–कार्य में चयनित उत्तरदात्रियों से जब यह पूछा गया कि क्या आप विवाह को एक संस्कार मानती है तो उनसे जो उत्तर प्राप्त हुए उसे सारणी संख्या 5.10 में प्रदर्शित किया गया है–

सारणी 10

विवाह एक धार्मिक संस्कार

क्र.सं.	विवाह एक धार्मिक संस्कार है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	55	55
2.	नही	36	36
3.	तटस्थ	9	9
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 10 का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि शोध–कार्य में चयनित समस्त उत्तरदात्रियों में से 55 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं मानती हैं। इस संदर्भ में 9 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ तटस्थ विचार की रही हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में विदित होता है कि सर्वाधिक 55 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है।

निष्कर्ष :– आजकल आधुनिक समाजों में विवाह के इस पारम्परिक दृष्टिकोण को आधुनिक युवाओं द्वारा स्वीकार किये जाने में झिंझक होने लगी है। वे अब अविवाहित रहते हुये भी 'विवाहित के रूप में साथ–साथ रहने' में विश्वास करने लगे हैं। पश्चिमी समाजों में अब धीरे–धीरे विवाह का रूप मात्र 'सुविधात्मक सम्बन्ध' (अरेंजमेंट) अथवा 'समझ पर आन्तरिक सम्बन्ध' अर्थात् मात्र ''समझौता'' बनते जा रहे है। सुविधात्मक सम्बन्ध समझने वाले जोड़ी में बेतहासा वृद्धि होने लगी है। भारत के महानगरों (मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता आदि) में भी इस प्रवृत्ति का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है। एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह और परिवार की प्रकृति, आकार– प्रकार और उद्देश्यों में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है। विवाह पूर्व तथा विवाह के अतिरिक्त सहवास, सहवासहीन विवाह, विवाह रहित सन्तानोत्पत्ति और लालन–पालन, उच्च तलाक की दरें जैसी बढ़ती हुयी घटनाओं ने विवाह की पारम्परिक परिभाषा पर नये सिरे से सोच–विचार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। आधुनिक परिस्थितियों के कारण विवाह और परिवार का पारम्परिक दृष्टिकोण, अर्थात् विवाह दो विषमलि ंगियों को दाम्पत्तिक अधिकार एवं कर्तव्यों में आबद्ध कर उन्हें सहवास और सन्तानोत्पादन की स्वीकृति देता है, धुंधलाता जा रहा है। कुछ व्यक्ति तो विवाह के भविष्य के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने लगे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गुडे, विलियम जे0 : दी फेमिली, न्यू डेलही, प्रिटिंग्स हाल, 1965.
2. इन्दिरा, एम0 ए0 : स्टेट्स आफ वोमेन इन एन्सिएण्ट ; मोती लाल बनारसी दास, बनारस, 1955.
3. जैन, एस0 सी0 : दी ला रिलेटिंग टु मैरिज एण्ड डाईवर्स, डेलही, सुरजीत बुक डिपो, 1980.
4. जोशी, इशा, बी : स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश डिक्ट्रीक्ट गजेटिअर्स, वाराणसी (गवर्नमेन्ट आफ यू0 पी0)
5. कपाड़िया, क0 एम0 (1963) ''भारत मे ं विवाह एवं परिवार'', मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, पृ0 174
6. मेयर, लूसी ''सामाजिक नृ–विज्ञान की भूमिका '', पृ0 90 मनुस्मृति 3/20
7. रावत, हरिकृष्ण (2015), ''उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश '', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0 283
8. समाजशास्त्र एक परिचय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,पृ0 171
9. आहूजा, राम (2013) ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था '', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0 107
10. Desuja Shaila. (2005) Marriage and family planning and understood by college girls (Home science) M.S. University, Dissertation. Type of marriage, (p#43).
11. Roy Sanchari. (2011) "A study of marital adjustment as a function of ideal mate concept differential" May, S. P. University, (5,24,.p# 6-8,20,29)
12. Goode William, J. (1965). "The Family", New Delhi, P. 32.
13. Begam Afroza (2004) Marital adjustment a study of ideal actual mate as concept differential dissertation, (p# 5-6).
14. Hatte, C.A. (1946). "The Social Position of Hindu Women", P.39.
15. Pye, L.W. (1963). "*Communication and Political Development*", New Jersey : Princeton University Press, P. 4.